रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215264
CG-DL-E-09012020-215264
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
No. 85] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

का.आ. 93(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 38 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 26 मार्च, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1370(अ), तारीख 6 मार्च, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, धारा 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से निम्नलिखित को छूट प्रदान करती है, अर्थात् :--

(क) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित या उनके क्षेत्र में नाशकजीवमार के साथ बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय प्रमाणपत्र रखने वाले निम्नलिखित संगठनों की प्रयोगशालाएं, अर्थात् :--

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ;

(ii) राज्य कृषि विश्वविद्यालय ;

(iii) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की संस्थाएं ;

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ; और

(v) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ;

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य सरकारी या निजी प्रयोगशाला या नाशकजीवमार उद्योग और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित या उनके क्षेत्र में नाशकजीवमार के साथ बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय प्रमाणपत्र रखते हों।

2. उपरोक्त पैरा 1 में संदर्भित छूट निम्नलिखित आयातित नमूना परिमाण के उद्देश्य के लिए है -

(i) एक कलेन्डर वर्ष में दस किलोग्राम तक कीटनाशी या नाशकजीवमार विनिर्मिति ;

(ii) एक कलेन्डर वर्ष में दो किलोग्राम तक तकनीकी या कीटनाशी के सक्रिय संघटकों नाशकजीवमार ;

(iii) फसल विकास नियामकों, घरेलू नाशकजीवमारों और अन्य उत्पादों जिनका उपयोग फसल की कटाई के पूर्व या कटाई के पश्चात् उपचार में किया जाता है एक कलेन्डर वर्ष में पांच सौ ग्राम तक,

अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए, सृजित आंकड़ों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण और केवल कीटनाशकों के साथ प्रयोग के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अर्थात् :--

(क) प्रतिबंधित नाशकजीवमारों, सूक्ष्म जीवों, कूटबद्ध और लाल त्रिभुज नाशकजीवमारों का आयात नहीं किया जाएगा ;

(ख) छूट प्राप्त करने के लिए, या तो व्यक्तिगत रूप से या आनलाइन प्रणाली के माध्यम से हितबद्ध प्रयोगशालाओं या संगठन द्वारा, जैसा कि उपाबंध-I में है, प्रार्थनापत्र दिया जाएगा ;

(ग) किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आयातित मात्रा में उपयोजन न करने के लिए उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट उपक्रम, विधिमान्य प्रत्यायन प्रमाणपत्र के साथ दिया जाएगा ;

(घ) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय, प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में उनके प्रत्यायन को सत्यापन करने के बाद छूट प्रदान की जाएगी ;

(ङ) केवल ऐसे नाशकजीवमार उद्योग, जिन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त और जो प्रत्यायित प्रयोगशालाओं या बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित, छूट प्रदान करने के लिए विचार करेगा ;

(च) छूट प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय की वेबसाइट में प्रकाशित प्रयोगशालाएं, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के सचिवालय और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय को वार्षिक रिपोर्ट जिसमे उनके द्वारा किए हुए अनुसंधान और विकास कार्य का विवरण उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यक्तिगत या आनलाइन प्रणाली के माध्यम से समर्पित करना आवश्यक होगा;

(छ) प्रयोगशाला न्यायिकेत्तर स्टांप-पत्र पर वचन देगी कि आयातित परिमाण के कीटनाशी या नाशकजीवमारों का प्रयोग केवल अनुसंधान गतिविधियों, आंकड़े के उत्पादन से संबंधित रजिस्ट्रीकरण और केवल कीटनाशियों से संबंधित प्रयोगों को जारी रखने के लिए किया जाएगा और इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा ;

3. इस अधिसूचना के उपबंधों या छूट की किसी श्त का उल्लंघन करने वाली किसी भी प्रयोगशाला को कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 13035/01/2018-पीपी-I]

अतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव

उपाबंध-I

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 38(2) के उपबंधों के अधीन कीटनाशियों या नाशकजीवमारों के साथ प्रयोग को जारी रखने में वचनबंध संगठन के लिए, छूट चाहने के लिए प्ररूप

1. आयातक का नाम और पता :
2. विदेशी विनिर्माता और प्रदायकर्ता का नाम और पता :
3. प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रास्थिति, संख्या और विस्तार (विधिमान्य प्रमाणपत्र की प्रति को संलग्न करें) :
4. उन प्रयोगशालाओं का नाम और पता, जहां पर कीटनाशकों के साथ किए जाने वाले प्रयोग प्रस्तावित हों :
5. ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जिनके पर्यवेक्षण के अधीन किया जाने वाला प्रयोग प्रस्तावित है :

प्रयोगशाला के भारसाधक का हस्ताक्षर

आवदेक का नाम, पदनाम, संपर्क ब्यौरा और ई-मेल आईडी

वचनबंध

मैं.....पुत्र या पुत्री.....निवासी.....अपनी हैसियत से.....के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.....के रूप में सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं और मैं उपरोक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं और मैं वचन देता हूं कि किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कीटनाशकों के आयातित परिमाण अपयोजन नहीं करूंगा और इसकी कुल मात्रा केवल अनुसंधान और विकास गतिविधियों, डाटा उत्पादन से संबंधित रजिस्ट्रीकरण और केवल कीटनाशकों से संबंधित प्रयोगों को जारी रखने के लिए किया जाएगा। यदि सूचना मिथ्या, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं कीटनाशी अधिनियम, 1968/नियम, 1971 के सुसंगत उपबंधों के अधीन उत्तरदायी होऊंगा।

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर.....

नाम.....

उपाबंध-II

केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय को आयातित नाशकजीवमारों या कीटनाशकों के साथ किए गए अनुसंधान और विकास कार्य तथा प्रयोगों के प्रस्तुतिकरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप

1. आयातक का नाम :
2. विदेशी विनिर्माता और प्रदायकर्ता का नाम :
3. प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रास्थिति संख्या और विस्तार :
4. रसायन का नाम—
 i. सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत नाम
 ii. रसायन का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण और समाप्ति की तारीख।
 iii. क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में सम्मिलत है या नहीं।
5. (क) विषाक्तता (एलडी 50 मान)
 i. मुखवर्ती एलडी 50 (चूहा).....मिग्रा./किग्रा. बी.डब्ल्यू
 ii. तीक्ष्ण चर्म एलडी 50 (चूहा).....मिग्रा./किग्रा. बी.डब्ल्यू

iii. तीक्ष्ण अभिश्वसन एलसी 50 (चूहा).....मिग्रा./ली.

(ख) क्या मूल अथवा विनिर्माण देश में इसका विनिर्माण, विक्रय, वितरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है या नहीं या इस पर कोई निर्बंधन अधिरोपित किया गया है । यदि हां, तो कृपया पूर्ण ब्यौरे दें ।

6. मुख्य सक्रिय समूह, जिससे रसायन संबंधित है:-

7. विनिर्दिष्ट प्रयोजन, जिसके लिए रसायन का आयात अपेक्षित है :-

8. फसल या नाशक जीव, जिसके संबंध में इनका इन विट्रो या इन विवो परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है :-

9. (क) संस्था का नाम, जहाँ देश में इसका परीक्षण किया जाना है ;

(ख) व्यक्ति का नाम और पदाभिधान, जिसके पर्यवेक्षण में परीक्षण किए जाने हैं ;

10. आयातित मात्रा—

11. अनुसंधान के प्रकार और किए गए विकास/प्रयोग :

i.

ii.

iii.

12. बची हुई मात्रा :

13. पैकिंग का प्रकार :

14. प्रवेश का पत्तन :

15. आयातित कीटनाशक या नाशकजीवमार का रूपयों में मूल्य—

16. क्या मूल देश अथवा आयातित देश में जांच, विश्लेषण, परीक्षा या परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है और यदि, हां, तो कृपया ब्यौरे दीजिए ।

IndiaCode

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

<u>सत्यापन</u>

मैं.....पुत्र या पुत्री.....निवासी.....अपनी हैसियत से.....के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.....के रूप में सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं और मैं उपरोक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं और मैं वचन देता हूं कि किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कीटनाशकों के आयातित परिमाण अपयोजन नहीं करूंगा और इसकी कुल मात्रा केवल अनुसंधान और विकास गतिविधियों, डाटा उत्पादन से संबंधित रजिस्ट्रीकरण और केवल कीटनाशकों से संबंधित प्रयोगों को जारी रखने के लिए किया जाएगा । यदि सूचना मिथ्या, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं कीटनाशी अधिनियम, 1968/नियम, 1971 के सुसंगत उपबंधों के अधीन उत्तरदायी होऊंगा ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थान

तारीख.....

संस्था/संगठन/प्रयोगशाला की मुहर

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2020

S.O. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 38 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) number S.O.1370 (E), dated 6th March, 2018, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3,Sub section (ii), dated the 26th March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts the following from the provisions of section 9 and the rules made thereunder, namely:-

(a) the laboratories of the following organisations accredited by the National Accreditation Board for Accredited Laboratories or having Good Laboratory Practices certification with pesticides in their scope, namely:-

(i) Indian Council for Agricultural Research ;

(ii) State Agriculture Universities ;

(iii) Institutions of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare;

(iv) Department of Science and Technology ; and

(v) Department of Scientific and Industrial Research;

(b) any other Government or private laboratory or pesticide industry recognised by the Department of Scientific and Industrial Research or the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology and accredited by the National Accreditation Board for Accredited Laboratories or having Good Laboratory Practices certification with pesticides in their scope.

2. The above exemption referred to in paragraph 1 shall be for the purpose of importing sample quantity of-

(i) insecticide or pesticide formulation to the tune of up to ten kilograms in a calendar year;

(ii) technical or active ingredients of insecticides or pesticides to the tune of two kilograms in a calendar year;

(iii) plant growth regulators, household pesticides and other products for use on pre-harvest or post – harvest treatment of crop produce to the tune of five hundred grams in a calendar year,

for research and developmental activities, registration related data generation and for carrying out experiments with the insecticides only, subject to following conditions, namely:-

(a) There shall be no import of banned pesticides, micro- organisms, coded and red triangle pesticides;

(b) an application as in Annexure-I shall be made by interested laboratories or organization, either in person or through online system, for seeking exemption;

(c) an undertaking as specified in Annexure-I for not diverting the imported quantity for any commercial purpose shall be furnished alongwith valid accreditation certificate;

(d) the National Accreditation Board for Accredited Laboratories or Good Laboratory Practices accredited laboratories shall be exempted after verifying their accreditation;

IndiaCode

(e) only such pesticides industries recognised by the Department of Scientific and Industrial Research and having National Accreditation Board for Accredited Laboratories or Good Laboratory Practices accreditation shall be considered for exemption;

(f) the laboratories enlisted for the exemption and published on the website of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare and the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage shall be required to provide annual report to the Secretariat of Central Insecticide Board and Registration Committee and the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage giving details of the research and development work carried out by them, in the form specified in Annexure-II in person or through online system.

(g) the laboratory shall give an undertaking on non-judicial stamp paper that the imported quantity of insecticides or pesticides shall be used only for research and development activities, registration related data generation and for carrying out experiments with the insecticides only and shall not be used in any manner for commercial activities;

3 Any laboratory contravening the provision of this notification or of any condition of exemption shall be liable to be prosecuted under the provisions of the Insecticides Act, 1968 and the Insecticides Rule, 1971.

4. This notification shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. 13035/01/2018-PP-I]

Atish Chandra, Jt. Secy.

Annexure-I

FORM FOR SEEKING EXEMPTION UNDER SECTION 38(2) OF THE INSECTICIDES ACT, 1968 FOR THE ORGANISATION ENGAGED IN CARRYING OUT EXPERIMENTS WITH INSECTICIDES OR PESTICIDES

1. Name and address of the importer:
2. Name and address of the overseas manufacturer and supplier:
3. Accreditation status, number and scope of laboratory (enclose valid certificate copy):
4. Name and address of the laboratory where the experiments with insecticides is proposed to be conducted:
5. Name and contact details of the person under whose supervision the experiments are proposed to be conducted:

Signature of the in- charge of laboratory

Name and Designation contact details, and email- id of the applicant

Undertaking

I…… Son or Daughter/ of..... Resident ofdo hereby verify in my capacity as authorised signatory of that the particulars given above are true and correct and that I am competent to sign and verify the above application and also give an undertaking for not diverting the imported quantity of insecticides for any commercial purpose and the entire quantity shall be used only for research and development activities, registration related data

generation and carrying out experiments with insecticides only. In case the information is found to be false, incorrect or misleading, I shall be held responsible under relevant provisions of the Insecticides Act 1968 / Rules 1971.

Place:

Date:

Signature……..

Name……

Annexure-II

ANNUAL REPORT FORM FOR SUBMISSION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK AND EXPERIMENTS CARRIED OUT WITH IMPORTED INSECTICIDES OR PESTICIDES, TO THE SECRETARIAT OF CENTRAL INSECTICIDE BOARD AND REGISTRATION COMMITTEE, DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION QUARANTINE AND STORAGE

1. Name of the importer-
2. Name of overseas manufacturer and the supplier
3. Accreditation status, number and scope of the laboratory-
4. Name of the chemical-
 - i. Common International accepted name
 - ii. Chemical name, batch number, manufacturing and expiry date.
 - iii. Whether included in the schedule to the Insecticide Act, 1968.

5. (a) Toxicity (LD50 value)
 - i. Oral LD_{50} (Rat)…….mg/kg b.w.
 - ii. Acute Dermal LD_{50} (Rat)……mg/kg b.w.
 - iii. Acute inhalation LC_{50} (Rat)……mg/L

(b) Whether manufacture, sale, distribution or use is prohibited/ not allowed in the country of its origin or manufacture or any other restriction (s) has been imposed thereon. If so, please give full details.

6. Main active group to which the chemical belongs:-
7. Specific purpose for which the chemical required for import:-
8. Crops or pests against which this is to be tested in vitro and in vivo:-
9. (a) Name of the institute where it is to be tested in the country;

 (b) Name, designation of the person under whose supervision tests are to be conducted;

10. Quantity imported –
11. Type of Research and development/Experiments carried:
 - i.
 - ii.
 - iii...

IndiaCode

12. Quantity left:

13. Type of packing-

14. Port of entry-

15. Value in rupees of the imported insecticide or pesticide-

16. Weather any examination, analysis, tests or trials are already being carried out in the country of origin or in the importing country, if so, please give details.

Signature of the applicant:

Name of the applicant:

Verification

I…… Son or Daughter/ of..... Resident ofdo hereby verify in my capacity as authorised signatory of that the particulars given above are true and correct and that I am competent to sign and verify the above application and also give an undertaking for not diverting the imported quantity of insecticides for any commercial purpose and the entire quantity is used only for research and development activities, registration related data generation and carrying out experiments with insecticides only. In case the information is found to be false, incorrect or misleading, I shall be held responsible under relevant provisions of the Insecticides Act 1968/ Rules 1971.

IndiaCode

Signature……..

Name……

Place…….

Date……..

Seal of the institution/ Organization/ laboratory

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.09 21:58:04 +05'30'